


कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1945/LXXXVII-सीपीसी/ईकोर्ट/इलाहाबाद दिनांकित 22.04.2021 के पैरा संख्या-18 के अनुपालन में तथा राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक 720/2021-SeAx-3 dated 20-04-2021 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर व बाह्य स्थित न्यायालय खुर्जा व अनूपशहर तथा ग्रामीण न्यायालय स्याना एवं डिबाई सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे। दिनांक 26.04.2021 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक-23.04.2021


23/4/21
प्रभारी जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर
- 2 प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 3 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर
- 4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर
- 5 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर
- 6 अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
- 7 अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर
- 8 जेल अधीक्षक, बुलन्दशहर
- 9 सहायक नोडल अधिकारी(वी0सी0)/सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने के लिए
- 10 जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- 11 समस्त/न्यायालय एवं कार्यालय, बुलन्दशहर जजशिप
- 12 केन्द्रीय नाजिर, मुख्यालय व बाह्य स्थित न्यायालय, अनूपशहर एवं खुर्जा जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित की प्रशासन के समुचित सहयोग से न्यायालय परिसर को सैनेटाईज कराना सुनिश्चित करें।
13. वरिष्ठ लिपिक, ग्रामीण न्यायालय स्याना एवं डिबाई को इस आशय के साथ प्रेषित की प्रशासन के समुचित सहयोग से न्यायालय परिसर को सैनेटाईज कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक- 23.04.2021


23/4/21
प्रभारी जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।